भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3088

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार

3088. प्रो. सौगत राय:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के संबंध में सामने आए अत्याचार के मामलों में तीव्र वृद्धि पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सामने आए ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य महिलाओं और बच्चों पर हमलों को रोकने में विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की निगरानी करता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं।, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच एवं अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है तथा वे इस तरह के अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

एराष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरों (एनसीआरबी) द्वारा अपनी वेबसाइट https://ncrb.gov.in/en/crime-india पर वर्ष 2022 तक प्रकाशित नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से 2022 तक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों संचयी आंकड़े क्रमशः 1245037 और 440384 थे।। वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** पर है। तथापि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों जिसमें महिला हेल्पलाइन-181और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) जैसी हेल्पलाइन का संचालन), शून्य-एफआईआर, ई-एफआईआर की अवधारणा एवं पीड़ितों को संस्थागत सहायता प्रदान करने का प्रावधान शामिल है,के फलस्वरूप नागरिकों के बीच जागरूकता के स्तर में वृद्धि के कारण अपराध की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है।

भारत का संविधान समानता के अधिकार की गारंटी देता है और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने एवं उनके समग्र सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा सकारात्मक पहल भी की गई है। संवैधानिक प्रावधानों में व्यक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, केंद्र

सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है तथा इस संबंध में विभिन्न विधायी और योजनाबद्ध पहल किए गए हैं। इनमें महिलाओं का'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013', 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005', 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961' एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, नए आपराधिक कानून, 2023 इत्यादि जैसे कानून शामिल हैं।

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है जिसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी); महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमिकरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जो आपातकालीन स्थिति के लिए अखिल भारतीय एकल नंबर (112) मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है; शी-बॉक्स कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए सिंगल विंडो पहुंच प्रदान करता है; अश्लील सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल; 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं जिनमें बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी को अपनाना और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम शामिल है; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किटों का वितरण; सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना; फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता; देश के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण; पुलिस स्टेशनों पर महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, बलात्कार के मामलों और पोस्को अधिनियम के तहत मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष पोक्सो अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों इत्यादि है। सरकार ने यौन अपराधों के लिए एक जांच ट्रैकिंग प्रणाली भी स्थापित की है, जो जांच की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण है। यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) भी बनाया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) नियमित तरीके से शिकायतों से निपटने के अलावा, एक समर्पित 24x7 हेल्पलाइन -7827170170 के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) सोशल/प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट की गई महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित शिकायतों का स्वतः संज्ञान भी लेता है। एनसीडब्ल्यू द्वारा प्राप्त शिकायतों पर पीड़ितों, पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करके तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

सरकार बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में विभिन्न उपाय किए गए हैं। यौन उत्पीड़न एवं यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 अधिनियमित किया है। अधिनियम एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।

धारा-12 के तहत पोक्सो अधिनियम में यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान है, जिसके तहत तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है एवं जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बच्चों से यौन अपराध करने वालों को रोकने एवं बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से, बच्चों पर यौन अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा शुरू करने के लिए अधिनियम में 2019 में और संशोधन किया गया था।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 से, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए नाबालिग गर्भवती बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए निर्भया कोष से "यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों के लिए देखभाल और सहायता की योजना" नामक केंद्र वित्त पोषित योजना भी शुरू की है।

इसके अलावा, न्याय विभाग अक्टूबर 2019 से बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष पोक्सो कोर्ट (ई-पोक्सो) सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यन्वित कर रहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30.09.2024 तक, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 408 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित 750 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने पोक्सो अधिनियम के तहत 180000 से अधिक मामलों सहित 287000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

******

अनुलग्नक- I

"महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार" के संबंध में प्रोफेसर सौगत राय द्वारा पूछे गए दिनांक 13.12.2024 को लोकसभा के स्वीकृत अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 के भाग (क) से (च) में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए पंजीकृत मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (स्रोत: एनसीआरबी)

क्रम सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	17089	17752	25503
2	अरुणाचल प्रदेश	281	366	335
3	असम	26352	29046	14148
4	बिहार	15359	17950	20222
5	छत्तीसगढ़	7385	7344	8693
6	गोवा	219	224	273
7	गुजरात	8028	7348	7731
8	हरियाणा	13000	16658	16743
9	हिमाचल प्रदेश	1614	1599	1551
10	झारखंड	7630	8110	7678
11	कर्नाटक	12680	14468	17813
12	केरल	10139	13539	15213
13	मध्य प्रदेश	25640	30673	32765
14	महाराष्ट्र	31954	39526	45331
15	मणिपुर	247	302	248
16	मेघालय	568	685	690
17	मिजोरम	172	176	147
18	नागालैंड	39	54	49
19	ओडिशा	25489	31352	23648
20	पंजाब	4838	5662	5572
21	राजस्थान	34535	40738	45058
22	सिक्किम	140	130	179
23	तमिलनाडु	6630	8501	9207
24	तेलंगाना	17791	20865	22066
25	त्रिपुरा	874	807	752
26	उत्तर प्रदेश	49385	56083	65743
27	उत्तराखंड	2846	3431	4337
28	पश्चिम बंगाल	36439	35884	34738
	कुल राज्य	**357363**	**409273**	**426433**
संघ राज्य क्षेत्र :				
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	143	169	178

30	चंडीगढ़	301	343	325
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	61	99	126
32	दिल्ली	10093	14277	14247
33	जम्मू और कश्मीर	3405	3937	3716
34	लद्दाख	9	18	15
35	लक्षद्वीप	15	9	16
36	पुदुचेरी	113	153	200
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**14140**	**19005**	**18823**
	कुल अखिल भारत	**371503**	**428278**	**445256**

स्रोत: एनसीआरबी

अनुलग्नक – II

"महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार" के संबंध में प्रोफेसर सौगत राय द्वारा पूछे गए दिनांक 13.12.2024 को लोकसभा के स्वीकृत अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 के भाग (क) से (च) में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए पंजीकृत मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण (स्रोत: एनसीआरबी)

क्रम सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	2648	2669	3308
2	अरुणाचल प्रदेश	113	162	143
3	असम	4622	5282	4084
4	बिहार	6591	6894	8122
5	छत्तीसगढ़	5056	6001	6177
6	गोवा	125	151	184
7	गुजरात	4075	4515	4964
8	हरियाणा	4338	5700	6138
9	हिमाचल प्रदेश	636	740	740
10	झारखंड	1795	1867	1917
11	कर्नाटक	5471	7261	7988
12	केरल	3941	4536	5640
13	मध्य प्रदेश	17008	19173	20415
14	महाराष्ट्र	14371	17261	20762
15	मणिपुर	125	143	120
16	मेघालय	415	481	496
17	मिजोरम	142	122	135
18	नागालैंड	31	51	35
19	ओडिशा	6330	7899	8240
20	पंजाब	2121	2556	2494
21	राजस्थान	6580	7653	9370
22	सिक्किम	147	149	159
23	तमिलनाडु	4338	6064	6580
24	तेलंगाना	4200	5667	5657
25	त्रिपुरा	260	236	220
26	उत्तर प्रदेश	15271	16838	18682
27	उत्तराखंड	1066	1245	1706
28	पश्चिम बंगाल	10248	9523	8950
	कुल राज्य	**122064**	**140839**	**153426**
संघ राज्य क्षेत्र :				
29	अंडमान और निकोबार	141	124	146

	द्वीप समूह			
30	चंडीगढ़	209	234	224
31	दादर और नगर हवेली एवं दमन वदीव	67	104	107
32	दिल्ली	5362	7118	7468
33	जम्मू और कश्मीर	606	845	920
34	लद्दाख	2	1	8
35	लक्षद्वीप	9	17	11
36	पुदुचेरी	71	122	139
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**6467**	**8565**	**9023**
	कुल अखिल भारत	**128531**	**149404**	**162449**

स्त्रोत : एनसीआरबी

*****